

प्रधान

अमला कुमार वरमा,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शाखा।

साथ में

निदेशक,  
महिला कल्याण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 27.05.2010

विषय- महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय, सहाय्यक म विद्यालयों, संवासाथों / संवासाथियों के माध्यम से अन्य सुविधाओं की प्रत्याभूति वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भ में शासनादेश सं०-1879/60-1-04-1/13(103)/03 दिनांक 27.05.04 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित राजकीय आवासीय संस्थाओं हेतु शासनादेश सं०-1879/60-1-04-1/13(103)/03 दिनांक 27.05.04 द्वारा स्वीकृत दर का पुनरीक्षित करते हुए निम्नानुसार निर्धारित विद्यमान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	सद का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
1	(क) भोजन व्यय (भरण घावम) (ख) विशेष आहार (धानी एवं भण्डारी आन्तःवासी हेतु)	1200/- प्रतिमाह 500/- प्रतिमाह
2	रामायी सम्पत्ति (दो सेट सूती वस्त्र तौलिया बनियान)	850/- वार्षिक
3	एक फुल स्वेटर, एक हाफ स्वेटर, ब्लेजर कोट (महिला संवासाथियों हेतु शाल), दो ऊनी मोजा	1500/- प्रति तीन वर्ष पर
4	पाठ्य पुस्तक, कक्षा 01 से 08 तक, कक्षा 09 से 12 तक	100/- वार्षिक 1000/- वार्षिक

2- उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित दरें तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय सं०-ई-3-1040/दस-2010 दिनांक 30.06.10 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

अमला कुमार वरमा  
प्रमुख सचिव

संख्या-223/11/10-1-10, तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचकांक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- महासचिवका 3090, इलाहाबाद।
  - 2- मुख्य कार्याधिकारी, जवाहरनगर जयपुर।
  - 3- समस्त जिलाधिकारी, 3090।
  - 4- समस्त कार्याधिकारी, 3090।
  - 5- समस्त मण्डलीय उप मुख्य परियोजनाधिकारी, 3090।
  - 6- समस्त जिला प्रादेशिक अधिकारी, 3090।
  - 7- समस्त विभागीय संस्थाओं के अध्यक्ष, अधीक्षक।
  - 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुसार-3
  - 9- वित्त आय-व्यय अनुसार-1/2
  - 10- राज्य योजना आयोग अनुसार-1

आज्ञा र

4

(कि०पी० सिंह,  
अनु सचिव)